

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इजिशिल्यस जज बाबु वगैरह बनाम विरधाराम वगैरह, मुकदमा संख्या 103/2014	
23.07.2024	<p>अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सुरावा की संयुक्त खातेदारी भूमि खसरा संख्या 388/866 रकबा 0.38 हैक्टेयर, खसरा संख्या 396/927 रकबा 0.07 हैक्टेयर, खसरा संख्या 398/926 रकबा 0.75 हैक्टेयर, खसरा संख्या 401 रकबा 0.13 हैक्टेयर, खसरा संख्या 402 रकबा 5.02 हैक्टेयर जुमले रकबा 6.35 हैक्टेयर की आई हुई है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से प्रतिफल की राशि अदा कर क्रय की थी तथा मौके पर संयुक्त रूप से कब्जा प्राप्त किया था तब से लेकर आज दिन तक पिछले दस वर्ष से लगातार उक्त आराजी पर संयुक्त रूप से कब्जा काशत चला आ रहा है। तथा अपनी मर्जी माफिक उक्त आराजी में काशत करते हैं। उक्त वादग्रस्त आराजी संयुक्त खातेदारी की होने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के बीच बंटवाड़ा एवं कब्जा काशत के संबंध में विवाद होते रहते हैं तथा उक्त आराजी में जाने हेतु रास्ता नहीं होने से विवाद होते रहते हैं तथा अप्रार्थीगण की नियत खराब हो गई तथा वे रास्ते के तरफ की भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेवजह परेशान करने पर तुले हुए हैं तथा कई बार बंटवाड़ा हेतु कहा गया लेकिन सहमति से बंटवाड़े के लिए तैयार नहीं है। अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थीगण उक्त खातेदारी एवं खेत में कब्जा काशत व बंट की भूमि में आने जाने के रास्ते को बंद करने का प्रयास किया, तब प्रार्थीगण ने पंच पंचायती करवाकर गांव के मौजिज लोगों की उपस्थिति में उक्त रास्ता खुलवाया, जिससे अप्रार्थीगण नाराज हो गए तथा धमकी दी की उक्त भूमि को बिना बंटवाड़ा करवाए ही अन्य बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति को बेचान कर देंगे जबकि विधिवत बंटवाड़ा नहीं होने तक अलग तरमीम नहीं होती है तब तक प्रत्येक इंच भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण का संयुक्त कब्जा माना जायेगा। अप्रार्थीगण को विधिवत बंटवाड़ा किये बिना अप्रार्थीगण को उक्त भूमि को बेचान करने का कोई अधिकार नहीं है। परन्तु अप्रार्थीगण परेशान करने व जैरबार करने पर तुले हुए हैं। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण के नाम संयुक्त रूप से राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज है तथा अविभाज्य संपत्ति है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा प्रार्थीगण ने उक्त कब्जा काशत की भूमि को समतल बनाया है जिससे सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है तथा अप्रार्थीगण उक्त भूमि किसी बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति को बेचान करने में सफल हो गये तो प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी। उक्त तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा पाने के हकदार होने से प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमावें।</p> <p>अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने उक्त तथ्यों का विरोध करते हुए जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए उपरोक्त आराजी में हिस्सा अप्रार्थीगण का खरीदसूदा व अलग कब्जाकाशत सूदा खोतदारी का आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी में अप्रार्थीगण रेकोर्डेड खातेदार है जिनके विरुद्ध प्रार्थीगण अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के हकदार नहीं है। तथा वादग्रस्त आराजी का 1/2 हिस्सा के अप्रार्थीगण खातेदार होने से भूमि बेचान करने के हकदार होने से प्रार्थी का कोई हक हकूक प्रभावित नहीं होने से प्रथम दृष्टया प्रकरण अप्रार्थीगण के पक्ष में तथा मौके पर 1/2 हिस्से का कब्जे का हस्तांतरण भी खरीददार को सुपुर्द करने से सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में है इस प्रकार खरीदार को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाता है तो अप्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होगी इस प्रकार तीनों मूलभूत कानूनी स्तंभ प्रार्थीगण के विरुद्ध होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र खारिज योग्य है अतः खारिज फरमावे।</p> <p>मैंने उभयपक्षकारान् की बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात्, का अध्ययन व अवलोकन किया गया अतः प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में प्रतीत होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।</p> <p><b>:- आदेश :-</b></p> <p>अतः प्रार्थीगण के पक्ष में तथा अप्रार्थीगण के विरुद्ध मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि अप्रार्थीगण मौके एवं राजस्व रेकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जाकर मूल वाद के साथ नत्थी हो।</p>	

(प्रमोद कुमार)

सहायक कलक्टर एवं  
सहायक कलक्टर एवं कार्यवाहक मजिस्ट्रेट  
(फास्टट्रैक) साधार

